29/8/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादीगण निरस्त डिग्री जारी हो। चिन्हित निर्णय शामिल डिग्री गया। डिग्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS / 2015/00/06

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 215/2015 GCMS:-2015/00106 दायर दिनांक : 26.08.2015

1. भादरराम पुत्र श्री हजारीराम जाति नाई फौत जरिये वारिसानः–
   1/1. राधा देवी पत्नी
   1/2. श्रवण कुमार पुत्र } भादरराम जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।
   1/3. फूलचन्द पुत्र
   1/4. गॉधी पुत्र भादरराम फौत जरिये वारिसः–
   1/4/1. कमला पत्नी गॉधी जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।
   1/4/2. दिनेश पुत्र
   1/4/3. सुरेन्द्र पुत्र } गॉधी पुत्र भादरराम जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमला पत्नी गॉधी जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।

......वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री रतूराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री शीशपाल शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक :२१.08.2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में तथ्य विचारण पत्रावली में इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद लालचन्द प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादी के नाम रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 ता 2070 खाता सं. 57 नया 1 पुराना के ख.स. 161/2 में 2.695 है. व ख.स. 205/6 में 5.907 है. कुल 8.602 है. बारानी भूमि खातेदारी दर्ज कागजात राज है, इस भूमि में से रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की 2.695 है. व वादी की ख.स. 161/2 की भूमि से चिपती ख.स. 189/[illegible] है. प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द की भूमि है इसी का फायदा उठाकर प्रतिवादी [illegible] वादी की 161/2 के उत्तरी दिशा में 15 बिस्वा चौडाई व [illegible] लम्बाई में क्रमशः वादी की भूमि रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 में अतिक्रमण [illegible] है प्रतिवादी सं. 1 को रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की उत्तर दिशा में 15 बिस्वा चौड़ाई व

क्रमशः पेज 2 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4 बीघा लम्बाई पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अतिक्रमण काल के 800/–रूपये प्रति बीघा प्रतिभूति राशि व मालकाना का 50 गुणा वादी को दिलाई जाने की प्रार्थना की गई। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित आये एवं जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया, वाद चलन के दौरान वादी की मृत्यु हो गई उसके वारिसान को बतौर वादी पक्षकार बनाकर संशोधित शीर्षक संलग्न वाद किया गया। बाद आने जवाब पूर्व में कायम दिनांक 27.12.2019 की तनकीयात को संशोधित कर दिनांक 05.06.2023 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई:–

1. आया रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 में 2.625 है. रकबा का वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा इस खसरा में 15 बिस्वा चौडाई व 4.00 बीघा लम्बाई में यानि 3.00 बीघा वादीगण के खातेदारी रकबा पर प्रतिवादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है?

......वादीगण

2. आया वादीगण अपने नाम के ख.स. 161/2 की 3.00 बीघा रकबा पर से प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित करवाकर जरिये पुलिस कब्जा प्राप्त करने का हकदार है?

........वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने तक दावा दायरी के दिन से 800/–प्रतिबीघा प्रतिवर्ष नकद प्रतिभूति राशि कायम करवाकर प्राप्त करने के हकदार है?

.......वादीगण

4. आया वादीगण के रकबा पर प्रतिवादीगण का कतई कब्जा नहीं, प्रतिवादी अपने खातेदारी रकबा पर ही काबिज होकर काश्त करता है?

........प्रतिवादी

बाद कायमी तनकीयात् साक्ष्य लिये गये वादी की ओर से वाद के समर्थन में श्योपतराम पुत्र श्री देवीलाल जानकार विवाद व फूलचन्द पुत्र श्री भादरराम के बयान करवाये गये, अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी के बयान नहीं हुए, प्रतिवादी सं. 1 के बयान बंद कर तर्क सुने गये।

योग्य अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुए जमाबंदी ग्राम सरदारपुराखर्था तहसील सूरतगढ़ सम्वत 2067 ता 70 का खाता 57 नया 1 पुराना में अंकित भादरराम के नाम जो कि वादीगण का पिता है के नाम से ख.स. 161/2 की 2.695 है. व ख.स. 205/6 की 5.907 है. कुल 8.602 है. भूमि खातेदारी अंकित होने की [illegible] भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ख.स. 161/2 की 2.695 [illegible] भूमि [illegible] से 3.00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमी [illegible] उसे [illegible]ल करने की प्रार्थना की व शास्ति लगाये जाने का निवेदन किया। वादि का शपथ पत्र के आधार पर पूर्णतया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सिद्ध होना बताया साथ ही निवेदन किया कि भूमि की नपाई वाद लम्बित होने के कारण नहीं हो सकी इसलिए आदेश करने की प्रार्थना की कि तहसीलदार को भूमि की नपाई कर यदि प्रतिवादी अतिक्रमी पाया जावें तो उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 की ओर से तर्क दिया गया कि वाद वादी कतई सिद्ध नहीं होता भूमि की नपाई कभी नहीं करवाई गई जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी सं. 1 रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमी है, वास्तविक स्थिति यह बताई कि प्रतिवादी सं. 1 इस भूमि से चिपती भूमि ख.स. 189/9 की 9.614 है. भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है इस भूमि से चिपती 161/2 की वादीगण की 2.695 है. भूमि है जिसे वे काश्त कर रहे है प्रतिवादी को आरजी काश्त से खातेदारी मिली है जहॉ पर उसे आवंटन दिनांक को कब्जा दिया गया था वही पर वह काबिज है जो कि रोही सरदारपुरा खर्था की जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 70/1 में प्रतिवादी सं. 1 की ख.स. 189/9 की 9.614 है. बारानी भूमि है प्रतिवादी ने कतई अतिक्रमण नहीं किया है किसी विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा भूमि की नपाई नहीं की गई है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी अतिक्रमी है। प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह श्योपतराम ने अपने प्रति परीक्षण में यह कहॉ है कि पैमाईश करवाई गई है किसने पैमाईश की यह स्पष्ट नहीं है। वादीगण ने वाद के पैरा सं. 5 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का से पैमाईश करवाई किन्तु वाद में पैमाईश के कतई सबूत नहीं है स्वय कथन के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी सं. 1 को रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 का अतिक्रमी नहीं माना जा सकता इसी आधार पर वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात ध्यान पूर्वक तर्को के परिपेक्ष्य में पठन व मनन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार सेः–

<u>तनकी सं. 1:–</u> आया रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 में 2.625 है. रकबा का वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा इस खसरा में 15 बिस्वा चौडाई व 4.00 बीघा लम्बाई में यानि 3.00 बीघा वादीगण के खातेदारी रकबा पर प्रतिवादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है?

......वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 57/1 में वादीगण के पिता भादरराम के नाम से अंकित ख.स. 161/2 की 2.695 है. बारानी भूमि अं[illegible] की ओर ध्यान दिलाया व दस्तावेजी साक्ष्य से [illegible] की सीमा तक सिद्ध बताया कि वादीगण के पिता की रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की 2.695 है. भूमि खातेदारी है किन्तु प्रतिवादी [illegible] इस भूमि से 3.00 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है इस विषय में मात्र शपथ पत्र प्रस्तुत किया है भूमि की

क्रमशः पेज 4 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नपाई किस प्रकार की गई है यह सिद्ध नहीं किया गया है। आया क्यास के आधार पर वादीगण ने प्रतिवादी को अतिक्रमी मान लिया अथवा स्वयं फीता लेकर भूमि की नपाई की कब की व किसके समक्ष की कतई स्पष्ट नहीं है। वादीगण स्वयं कथन कर आये है कि उनके द्वारा भूमि की नपाई कराई गई किससे करवाई इसका ना तो कथन है व ना ही साक्ष्य है। वादीगण के गवाह द्वारा भी यह कथन किया गया कि भूमि की नपाई करवाई गई है कब व किसने नपाई की कतई स्पष्ट नहीं है। मात्र कथनों के आधार पर अतिक्रमण को नहीं माना जा सकता, आंशिक रूप से यह तनकी बहक वादी इस सीमा तक स्वीकार की जा सकती है कि वादीगण के पिता के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की 2.695 है. भूमि खातेदारी है शेष तनकी बाबत अतिक्रमण संदेह से परे सिद्ध नहीं होती इसलिए इसी अनुसार खातेदारी होने का तथ्य बहक वादी व प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण का तथ्य संदेह से परे सिद्ध ना होने से प्रतिवादी के हक में निर्णय किया जाता है।

<u>तनकी सं. 2:—</u> आया वादीगण अपने नाम के ख.स. 161/2 की 3.00 बीघा रकबा पर से प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित करवाकर जरिये पुलिस कब्जा प्राप्त करने का हकदार है?

........वादीगण

इस तनकी का भार वादीगण पर था, वादीगण ने इसे दस्तावेजी साक्ष्य से कतई सिद्ध नहीं किया है विस्तृत विवेचन तनकी सं. 1 में किया जा चुका है इसलिए तनकी सं. 2 खिलाफ वादीगण निर्णय की जाती है।

<u>तनकी सं. 3:—</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने तक दावा दायरी के दिन से 800/—प्रतिबीघा प्रतिवर्ष नकद प्रतिभूति राशि कायम करवाकर प्राप्त करने के हकदार है?

.......वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था एवं इसका सम्बंध तनकी सं. 1 व 2 से था जो वादीगण द्वारा अतिक्रमण की सीमा तक सिद्ध नहीं हुआ जब अतिक्रमण की सिद्ध नही तो प्रतिभूति का प्रश्न विचारणीय नहीं है। अतः इस तनकी को खिलाफ वादीगण निर्णय किया जाता है।

<u>तनकी सं. 4:—</u> आया वादीगण के रकबा पर प्रतिवादीगण का कतई कब्जा नहीं, प्रतिवादी अपने खातेदारी रकबा पर ही काबिज होकर काश्त करता है?

........प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में अतिक्रमण से इन्कार किया है व वादीगण द्वारा भी अतिक्रमण संदेह से परे साबित करने में विफल [illegible] अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है किन्तु वादीगण के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमशः पेज 5 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 189/9 में 9.614 है. भूमि दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है अंकित काश्तकार का अपनी भूमि पर काश्त होना प्रथम दृष्टया माना जाने योग्य है इससे अधिक काश्त कर रहे है यह कतई सिद्ध नहीं है। अतः जमाबंदी के आधार तनकी सं. 4 बहक प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी सं. 1 में मात्र वादीगण के पिता के नाम रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 में 2.695 है. भूमि खातेदारी सिद्ध होने व इस भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 कब्जा संदेह से परे सिद्ध ना होने से व तनकी सं. 2 व 3 खिलाफ वादी व तनकी सं. 4 प्रतिवादी सं. 1 के हक में निर्णय होने से वाद वादी बाबत प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की 2.695 है. भूमि में से 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमी घोषित करने एवं उसे बेदखल, शास्ति लगाने का वाद संदेह से परे सिद्ध ना होने से वाद पत्र वादीगण निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो आदेश सुनाया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. भादरराम पुत्र श्री हजारीराम जाति नाई फौत जरिये वारिसानः–
   1/1. राधा देवी पत्नी
   1/2. श्रवण कुमार पुत्र } भादरराम जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।
   1/3. फूलचन्द पुत्र
   1/4. गॉधी पुत्र भादरराम फौत जरिये वारिसः–
   1/4/1. कमला पत्नी गॉधी जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।
   1/4/2. दिनेश पुत्र
   1/4/3. सुरेन्द्र पुत्र } गॉधी पुत्र भादरराम जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमला पत्नी गॉधी जाति नाई साकिन 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़।

.....वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री रतूराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 215 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील श्री शीशपाल शर्मा, अभिभाषक वादीगण अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री भगवानदत्त शर्मा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण बाबत प्रतिवादी सं. 1 को रोही सरदारपुरा खर्था के ख.स. 161/2 की 3.00 बीघा पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व शास्ति लगाने का वाद संदेह से परे सिद्ध ना होने से वाद वादीगण निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29.08.25 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)